उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–22/2021–22

प्रमोद गोस्वामी एवं अन्य

बनाम्

नित्यानंद गोस्वामी

–: आदेश :–

दिनांक

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रमोद गोस्वामी, पे0–स्व0 सुकभरण गोस्वामी वो मदन मोहन गोस्वामी वो राजेश्वर प्रसाद गोस्वामी वो दीपक कुमार गोस्वामी, पे0–स्व0 शिव बचन गोस्वामी एवं माता स्व0 टुको देवी, सभी साकिनान–तरखरवा टोला, चाँदपुर, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–10/2016–17 के आदेश दिनांक–19.01.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–10/16–17 के आदेश दिनांक–19.01.2021 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बगातखुटहरी नं0–68–71, जमाबंदी सं0–40, रकवा 36–13–15 धुर, मौजा–तरखरवा नं0–70, जमाबंदी सं0–25, रकवा 04–03–04 धुर एवं मौजा–मानगढ़ नं0–66–64, जमाबंदी सं0–36, रकवा 03–00–14 धुर कुल रकवा 43–17–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दुखहरण गोसाई वो सुखमन गोसाई वो विश्वनाथ गोसाई, पे0–गोपी गोसाई वो घरभरण गोसाई, पे0–लोकी गोसाई के नाम से दर्ज है। पर्चा में दर्ज जमीन में से आधा हिस्सा घरभरण गोसाई को प्राप्त हुआ एवं आधा हिस्सा गोपी गोसाई के पुत्रों को प्राप्त हुआ। गोपी गोसाई के पुत्रों में से जमाबंदी रैयत विश्वनाथ गोसाई को नावल्द मृत्यु हो गयी है। इसके बाद गोपी गोसाई के आधा हिस्से में से अन्य दोनों पुत्र जमाबंदी रैयत दुखहरण गोसाई एवं सुखमन गोसाई को आधा–आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। कालान्तर में सुखमन गोसाई की विधवा पत्नि मनोरमा देवी एवं अन्य के द्वारा दुखहरण गोसाई एवं अन्य के विरूद्ध टी0पी0एस0 नं0–109/82 दायर किया गया। उक्त वाद में सुलहनामा के आधार पर निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के अनुसार वादी सं0–02 एवं 08

तुको देवी एवं प्रमोद गोस्वामी को कुल जमीन में से एक चौथाई हिस्सा इस निर्देश के साथ दिया गया कि दोनों वादी नं0–01 मनोरमा देवी का देख भाल करेंगे। वर्तमान में मनोरमा देवी की मृत्यु हो गयी है एवं एक चौथाई हिस्सेदार टुको देवी के पुत्रों एवं प्रमोद गोस्वामी है। टुको देवी की भी मृत्यु हो गयी। लेकिन दुर्भाग्य से प्रारम्भिक डिग्री के बाद कोई अंतिम डिग्री पारित नहीं होने के कारण उत्तरवादी नित्यानंद गोस्वामी के द्वारा वर्तमाान तसदीक पर्चा में मौजा–बगातखुटहरी के जमाबंदी सं0–40 की जमीन में गलत तरीके से दखल दर्ज किया था, जिसके विरूद्ध टुको देवी एवं अन्य के द्वारा नित्यानंद गोस्वामी के विरूद्ध सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में एम0पी0 नं0–499/09 दायर किया गया। वाद में सुनवाई के दौरान उत्तरवादी नित्यानंद गोस्वामी के द्वारा बताया गया कि टुको देवी ने अपना हिस्सा उत्तरवादी को दिया है। लेकिन सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा उत्तरवादी के दावा को खारिज किया गया एवं पर्चा में संयुक्त रूप से दखल दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी की ओर से बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में बंदोवस्त अपील नं0–27/11 दायर किया गया। बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के आदेश को यथावत रखते हुए उत्तरवादी नित्यानंद गोस्वामी के अपील आवेदन को खारिज किया गया। उनका आगे कथन है कि पक्षों के हिस्से की जमीन का सीमांकन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के समक्ष आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर रा0वि0 वाद सं0–10/16–17 प्रारंभ किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–62/रा0 दिनांक–20.05.17 से समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि पक्षकार अलग–अलग जमीन पर दखलकार है। उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अपीलकर्त्ता की ओर से आपत्ति किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा अपने पत्रांक–306/रा दिनांक–02.04.2019 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि अंचल अमीन के द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया। उनका आगे कहना है कि उक्त जमीन का सीमांकन पूरी तरह से गलत तरीका से किया गया है। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने निम्न

न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्त्तागण की ओर से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी भी उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत वंशज है एवं माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में पहले से ही राजस्व मिस0 रिवीजन सं0–105/2015 लंबित है तथा पक्षकारों के बीच स्वत्व वाद भी लंबित है। इसलिए वर्तमान अपील वाद खारिज करने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मानगढ़ नं0–66–64 के जमाबंदी सं0–36, मौजा–तरखरवा नं0–70 के जमाबंदी सं0–25 एवं मौजा–बगातखुटहरी नं0–68–70 के जमाबंदी सं0–40 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत दुखहरण गोसाई वो सुखमन गोसाई वो विशुनाथ गोसाई, पे0– गोपी गोसाई वो घरभरण गोसाई, पे0–लौकी गोसाई कौम अकीश सा0– तरखरवा के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चूँकि मामला भूमि सीमांकन से संबंधित है। भूमि का सीमांकन करा दिया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा पुनः भूमि का सीमांकन के लिए अनुरोध किया गया था, जो अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–10/2016–17 के आदेश दिनांक–19.01.2021 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:31:19 +05:30
Location: 172.21.32.1